प्रेस नोट दिनांक 06.06.2025 जनपद प्रतापगढ़

थाना-बाघराय, जनपद- प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराध व अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी-

थाना बाघराय पुलिस व थाना महेशगंज पुलिस की संयुक्त टीम से हुई मुठभेड़ में अन्तर्जनपदीय 01 शातिर अभियुक्त के पैर में लगी गोली/गिरफ्तार

थाना बाघराय क्षेत्रान्तर्गत लोचनापुर ग्राउण्ड के पास पुलिस मुठभेड़ में 01 शातिर अभियुक्त के पैर में लगी गोली व गिरफ्तार किया गया

अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद तमंचा 315 बोर, 02 जिन्दा कारतूस, 01 खोखा कारतूस व 01 चार पहिया वाहन(स्विफ्ट डिजायर) बरामद

घायल अभियुक्त वीरेन्द्र यादव उपरोक्त पर जनपद प्रतापगढ़ व जनपद अमेठी में लूट, गैंगस्टर एक्ट, हत्या का प्रयास, मारपीट,एससी/एसटी एक्ट जैसे अभियोग पंजीकृत है

घायल अभियुक्त वीरेन्द्र यादव उपरोक्त को ईलाज हेतु सीएचसी बाघराय ले जाया गया, जहां घायल अभियुक्त का इलाज चल रहा है

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु दबिश दी जा रही थी। इसी क्रम में आज दिनांक 05/06.06.2025 को रात्रि को ASP(W) श्री संजय राय व CO सदर श्रीमती करिश्मा गुप्ता के नेतृत्व मे थाना बाघराय पुलिस व थाना महेशगंज पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा थाना बाघराय क्षेत्रान्तर्गत लोचनापुर ग्राउण्ड के पास चेकिंग के दौरान अभियुक्तों द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गयी। आत्म सुरक्षार्थ पुलिस टीम द्वारा जबाबी फायरिंग में हुई मुठभेड़ में 01 शातिर अभियुक्त वीरेन्द्र यादव पुत्र बसंत कुमार यादव निवासी थरिया थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़, मूल पता निवासी ग्राम कोरारी गिरधर शाह थाना कोतवाली अमेठी जनपद अमेठी के दाहिने पैर में लगी गोली लगने से घायल हो गया व गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त वीरेन्द्र यादव थाना महेशगंज के मु0अ0सं0-112/25 धारा 191(2),191(3), 190,109(1) ,352, 351(3)बीएनएस व 3(1)द, 3(1)ध,3(2)va,3(2)v एससी/एसटी एक्ट का वाँछित अभियुक्त है। फायरिंग के दौरान घायल वीरेन्द्र यादव उपरोक्त का दवा इलाज सीएचसी बाघराय में चल रहा है। अन्य 04 अभियुक्त 1.अन्नू उर्फ मोनू उर्फ सुनील सरोज, 2.छोटू, 3.धर्मेन्द्र, 4. इमरान रात के अंधेरे व भौगोलिक परिस्थिति का फायदा लेते हुए भाग गये। जिनकी गिरफ्तारी हेतु दबिश/प्रयास किया जा रहा है।

अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद तमंचा 315 बोर, 02 जिन्दा कारतूस, 01 खोखा कारतूस व 01 चार पहिया वाहन(स्विफ्ट डिजायर) बरामद की गई। उपरोक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना बाघराय में मु0अ0सं0-101/2025 धारा-109 बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

अभियुक्त वीरेन्द्र यादव पुत्र बसंत कुमार यादव निवासी थरिया थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़ मूल पता निवासी ग्राम कोरारी गिरधर शाह थाना कोतवाली अमेठी जनपद अमेठी।

गिरफ्तार अभियुक्त वीरेन्द्र यादव पुत्र बसंत कुमार यादव निवासी थरिया थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़ मूल पता निवासी ग्राम कोरारी गिरधर शाह थाना कोतवाली अमेठी जनपद अमेठी का आपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0सं0-112/25 धारा 191(2),191(3), 190,109(1) ,352, 351(3)बीएनएस व 3(1)द, 3(1)ध,3(2)va,3(2)v एससी/एसटी एक्ट थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़।

2- मु0अ0सं0-80/20 धारा 392,504,120बी भादवि थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी।

3- मु0अ0सं0-251/20 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी।

बरामदगी-

01 अदद तमंचा 315 बोर, 02 जिन्दा कारतूस, 01 खोखा कारतूस व 01 चार पहिया वाहन(स्विफ्ट डिजायर) बरामद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना बाघराय प्रभारी निरीक्षक प्रदीप कुमार मय हमराह व0उ0नि0 जिलेदार पाल, उ0नि0 राहुल, का0 अमरजीत, का0 शशांक राय, का0 सौरभ शर्मा, का0 रंजीत हे0 का0 चालक राजाराम सिंह।

थाना प्रभारी महेशगंज श्री मुकेश कुमार सिंह मय हमराह उ0नि0 श्री विजेंद्र कुमार यादव, हे0का0 शिवेंद्र सिंह, का0 विशाल यादव चालक का0 सुमित सिंह।

<u>थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ़</u>

गैंगस्टर एक्ट में वांछित 02 शातिर अपराधी गिरफ्तार – सतर्क पुलिस टीमों को मिलेगा ईनाम व प्रशस्ति-पत्र

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में गैंगस्टर एक्ट के तहत वांछित दो शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर प्रतापगढ़ पुलिस पर कसा शिकंजा

प्रकरण-1:-

दिनांक 06.06.2025 को थाना कन्धई पुलिस द्वारा क्षेत्रान्तर्गत ताला मोड के पास से गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत वांछित अभियुक्त तारिक अली उर्फ तारिफ अली को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त तारिक अली उर्फ तारिफ अली पर गोवध, मारपीट, धमकी एवं गैंगस्टर एक्ट सहित लगभग 03 संगीन आपराधिक मुकदमों में अभ्यस्त है।

इस सफलता में थाना कोतवाली देहात के उ0नि0 रज्जन राव एवं बीट आरक्षी संतोष यादव की विशेष सतर्कता एवं निगरानी की भूमिका रही। अभियुक्त पर साये की तरह नजर रखते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ द्वारा उ0नि0 रज्जन राव एवं बीट आरक्षी संतोष यादव को दिया जाएगा ईनाम व प्रशस्ति-पत्र

प्रकरण-2:-

इसी क्रम में थाना कन्धई पुलिस द्वारा ग्राम कीरतपुर के पास से गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त गुन्नूर पुत्र मोबीन उपरोक्त को भी गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त गुन्नूर पुत्र मोबीन उपरोक्त पर गोवध, विस्फोटक व गैंगस्टर एक्ट जैसे करीब 03 गंभीर मुकदमे दर्ज हैं और वह एक आपराधिक प्रवृत्ति का शातिर अभियुक्त है।

इस सफलता में उ0नि0 रज्जन राव एवं बीट मुख्य आरक्षी संतोष कुमार की सतत निगरानी एवं त्वरित कार्यवाही सराहनीय रही। अभियुक्त की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हुए उसे योजनाबद्ध ढंग से गिरफ्तार किया।

पुलिस अधीक्षक द्वारा उ0नि0 रज्जन राव एवं बीट मुख्य आरक्षी संतोष कुमार के सराहनीय प्रयासों के लिए दिया जाएगा ईनाम व प्रशस्ति-पत्र

जनपद में अपराध नियंत्रण/ संगीन धाराओं में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु बीट पुलिसिंग प्रणाली को मजबूत किया जा रहा है-

इसी क्रम में थाना कन्धई में पंजीकृत मु0अ0सं0- 130/25 धारा 2/3 यू0पी0 गैंगस्टर एक्ट में वांछित 02 अभियुक्तों को थाना कन्धई पुलिस द्वारा उ0नि0 रज्जन राव एवं बीट आरक्षी संतोष यादव के सहयोग से तारिक अली उर्फ तारिफ अली पुत्र फतेह मुहम्मद निवासी गुतौली थाना- कन्धई प्रतापगढ को थाना क्षेत्रान्तर्गत ताला मोढ़ के पास से एवं उ0नि0 रज्जन राव एवं बीट मुख्य आरक्षी संतोष कुमार के सहयोग से गुन्नूर पुत्र मोबीन महुतान निवासी कीरतपुर थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ को थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम कीरतपुर से गिरफ्तार किया गया है।

गैंगस्टर एक्ट के गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. अभियुक्त तारिक अली उर्फ तारिफ अली पुत्र फतेह मुहम्मद निवासी गुतौली थाना-कन्धई प्रतापगढ का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0-305/23 धारा-3/5/8 गोवध निवारण अधि0 उ0प्र0 थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ़।
2. मु0अ0सं0-407/2020 धारा-147/148/323/427/452/504/506 थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ़।
3. मु0अ0सं0-130/25 धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ़।

02. अभियुक्त गुन्नूर पुत्र मोबीन महुतान निवासी कीरतपुर थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0-305/23 धारा-3/5/8 गोवध निवारण अधि0 उ0प्र0 थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ़।
2. मु0अ0सं0-93/24 धारा-4/5 विस्फोटक पदार्थ अधि0 थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ़।
3. मु0अ0सं0-130/25 धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ़।

थाना फतनपुर, जनपद प्रतापगढ

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी

दहेज हत्या के प्रकरण से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त (पति) गिरफ्तार

थाना फतनपुर पुलिस द्वारा गाजी बाग तिराहे से 100 मीटर पहले नहर पुलिया के पास अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया

घटना का संक्षिप्त का विवरण- थाना फतनपुर क्षेत्रान्तर्गत वादी की पुत्री को आरोपियों (ससुराल वालों) द्वारा मारने के संबंध में मृतका के मायके वालों द्वारा दहेज उत्पीड़न व हत्या का आरोप ससुराल वालों पर लगाया गया था। मृतका की माँ के तहरीर के आधार पर थाना फतनपुर में मु0अ0सं0- 119/2025 धारा 80, 85, 123 बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट एक्ट बनाम 03 नामजद ससुरालीजन के विरुद्ध पंजीकृत है।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अभियुक्त वांछित अपराधी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत व अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल एवं क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री विनय प्रभाकर साहनी के कुशल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी फतनपुर श्री राजेन्द्र कुमार के नेतृत्व में उ0नि0 शैलेश कुमार यादव मय हमराह कां० रामनिवास द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित वारण्टी, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/ वाहन के दौरान मुखबिर की सूचना पर थाना फतनपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 119/2025 धारा 80, 85, 123 बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट से संबंधित वांछित अभियुक्त रंजीत कुमार पुत्र जमुना प्रसाद निवासी ग्राम सनेहुआ इमलीडाढ़ थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ को दिनांक 30.03.2025 को थानाक्षेत्र फतनपुर के गाजी बाग तिराहे से 100 मीटर पहले नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

रंजीत कुमार पुत्र जमुना प्रसाद निवासी ग्राम सनेहुआ इमलीडाढ़ थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

उ0नि0 शैलेश कुमार यादव मय हमराह कां० रामनिवास थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़।

थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़

गैंगस्टर एक्ट में वांछित दो शातिर अपराधी गिरफ्तार – सतर्क पुलिस टीमों को मिलेगा ईनाम व प्रशस्ति-पत्र

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में गैंगस्टर एक्ट के तहत वांछित दो शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर प्रतापगढ़ पुलिस पर कसा शिकंजा

प्रकरण-1:-

दिनांक 06.06.2025 को थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा क्षेत्रान्तर्गत विक्रमपुर मोड़ के पास से गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत वांछित अभियुक्त विपिन सिंह को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त विपिन सिंह चोरी एवं गैंगस्टर एक्ट सहित लगभग 07 संगीन आपराधिक मुकदमों में अभ्यस्त है।

इस सफलता में थाना कोतवाली देहात के उ0नि0 अखिलेश प्रताप एवं बीट आरक्षी मनीष पाण्डेय की विशेष सतर्कता एवं निगरानी की भूमिका रही। अभियुक्त पर साये की तरह नजर रखते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ द्वारा उ0नि0 अखिलेश प्रताप एवं बीट आरक्षी मनीष पाण्डेय को दिया जाएगा ईनाम व प्रशस्ति-पत्र

प्रकरण-2:- इसी क्रम में थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा टेऊंगा के पास से गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त जसवंत उपरोक्त को भी गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त जसवंत उपरोक्त पर चोरी व गैंगस्टर एक्ट जैसे करीब 03 गंभीर मुकदमे दर्ज हैं और वह एक आपराधिक प्रवृत्ति का शातिर अभियुक्त है।

इस सफलता में उ0नि0 अतुल तिवारी एवं बीट आरक्षी कुशल यादव की सतत निगरानी एवं त्वरित कार्यवाही सराहनीय रही। अभियुक्त की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हुए उसे योजनाबद्ध ढंग से गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक द्वारा उ0नि0 अतुल तिवारी एवं बीट आरक्षी कुशल यादव के सराहनीय प्रयासों के लिए दिया जाएगा ईनाम व प्रशस्ति-पत्र

जनपद में अपराध नियंत्रण/ संगीन धाराओं में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु बीट पुलिसिंग प्रणाली को मजबूत किया जा रहा है-

इसी क्रम में थाना कोतवाली देहात में पंजीकृत मु0अ0सं0- 137/25 धारा 2/3 यू0पी0 गैंगस्टर एक्ट में वांछित 02 अभियुक्तों को थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा उ0नि0 अखिलेश प्रताप एवं बीट आरक्षी मनीष पाण्डेय के सहयोग से विपिन सिंह पुत्र सुरेश सिंह निवासी फूलपुर नेवादा थाना बहरिया जनपद प्रयागराज हाल पता मना का पुरवा भुवालपुर डोमीपुर थाना कोतवाली देहात एवं उ0नि0 अतुल तिवारी एवं बीट आरक्षी कुशल यादव के सहयोग से जसवन्त पुत्र राम बहोर निवासी खूटाघाट महकनी थाना कोतवाली देहात प्रतापगढ़ को गिरफ्तार किया गया है।

गैंगस्टर एक्ट के गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. अभियुक्त विपिन सिंह पुत्र सुरेश सिंह निवासी फूलपुर नेवादा थाना बहरिया जनपद प्रयागराज हाल पता मना का पुरवा भुवालपुर डोमीपुर थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ का आपराधिक इतिहास-

01. मु0अ0सं0 137/2025 धारा 2/3 यू0पी0 गैंगस्टर एक्ट थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ।
02. मु0अ0सं0 44/2025 धारा 303(3) बीएनएस थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ।
03. मु0अ0सं0 45/2025 धारा 317(2),317(4) बीएनएस थाना कोतवाली देहात प्रतापगढ।
04. मु0अ0सं0 34/2025 धारा 303(3) बीएनएस थाना जेठवारा प्रतापगढ।
05. मु0अ0सं0 94/2025 धारा 303(3) बीएनएस थाना कोतवाली नगर प्रतापगढ।
06. मु0अ0सं0 96/2025 धारा 303(3) बीएनएस थाना कोतवाली नगर प्रतापगढ।
07. मु0अ0सं0 97/2025 धारा 303(3) बीएनएस थाना कोतवाली नगर प्रतापगढ।

02- अभियुक्त जसवन्त पुत्र राम बहोर निवासी खूटाघाट महकनी थाना कोतवाली देहात प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास-

01. मु0अ0सं0 137/2025 धारा 2/3 यू0पी0 गैंगस्टर एक्ट थाना कोतवाली देहात प्रतापगढ।
02. मु0अ0सं0 44/2025 धारा 303(3) बीएनएस थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ।
03. मु0अ0सं0 45/2025 धारा 317(2),317(4) बीएनएस थाना कोतवाली देहात प्रतापगढ।

थाना लीलापुर, जनपद प्रतापगढ़

तमंचे से फायरिंग कर मारपीट करने वाला अन्तर्जनपदीय अभियुक्त ग्रामीणों के सहयोग से थाना लीलापुर पुलिस ने अवैध हथियार व बाइक के साथ किया गिरफ्तार

थाना लीलापुर पुलिस द्वारा हत्या का प्रयास एवं आर्म्स एक्ट के अभियोग से संबंधित अन्तर्जनपदीय 01 अभियुक्त को अवैध तमन्चा कारतूस के साथ किया गया गिरफ्तार-

अभियुक्त सुरेश सरोज पर जनपद रायबरेली, जनपद प्रतापगढ में लूट, डकैती, चोरी, गैंगस्टर एक्ट, धोखाधड़ी, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट जैसे लगभग 02 दर्जन से अधिक अभियोग पंजीकृत हैं।

घटना का विवरण-
वादी व उनके साथी नाव से मोटरसाइकिल उतार रहे थे, इसी दौरान अभियुक्त सुरेश सरोज पुत्र किशोरीलाल निवासी शिवबोझ थाना लीलापुर द्वारा गाड़ी गिर जाने की बात पर वादी व उनके भतीजों से गाली-गलौज करते हुए विवाद किया था। विरोध करने पर अभियुक्त द्वारा वादी एवं उनके भतीजों के साथ मारपीट की गई, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं। शोर सुनकर गांव वाले मौके पर पहुंचे, तब अभियुक्त ने जान से मारने की नियत से अवैध तमंचे से फायर किया, जिससे सभी बाल-बाल बचे। अभियुक्त भागने का प्रयास कर रहा था, जिसे ग्रामीणों ने पकड़कर 01 अदद तमंचा 315 बोर व एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल के साथ थाना लीलापुर पुलिस के सुपुर्द किया। उक्त प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0स0 121/25 धारा 109 (1)/115(2)/352/351(3) बी0एन0एस0 व 3/25, 5/27 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर थाना लीलापुर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
1- सुरेश सरोज पुत्र किशोरी लाल निवासी शिवबोझ थाना - लीलापुर, जनपद-प्रतापगढ़ उम्र 28 वर्ष।

सुरेश साहनी उर्फ सुरेश सरोज उर्फ सुरेश पासी पुत्र स्व0 किशोरी लाल निवासी शिवबोझ थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 28 वर्ष का आपराधिक इतिहास-

01. मु0अ0स0 427/17 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ।
02. मु0अ0स0 454/18 धारा 392/411 भादिव थाना सलोन जनपद रायबरेली।
03. मु0अ0स0 443/21 धारा 395/411 भादिव थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ।
04. मु0अ0स0 414/22 धारा 2/3 गिरोहबन्द थाना लालगंज जनदप प्रतापगढ।
05. मु0अ0स0 550/21 धारा 395 भादिव थाना लालगंज प्रतापगढ।
06. मु0अ0स0 573/21 धारा 307/393/394/411भादिव थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ।
07. मु0अ0स0 574/21 धारा 307 भादिव थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ।
08. मु0अ0स0 244/20 धारा 392/411 भादिव थाना डीह जनपद रायबरेली।
09. मु0अ0स0 347/20 धारा 2/3 गिरोहबन्द थाना सलवन जनपद रायबरेली।
10. मु0अ0स0 427/18 धारा 392/411 भादिव थाना डीह जनपद रायबरेली।

11. मु0अ0स0 01/19 धारा 2/3 गिरोहबन्द थाना सलवन जनपद रायबरेली।
12. मु0अ0स0 252/20 धारा 395/397/412 भादिव थाना सलवन जनपद रायबरेली।
13. मु0अ0स0 264/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सलवन जनपद रायबरेली।
14. मु0अ0स0 434/15 धारा 406/411 भादिव थाना सलवन जनपद रायबरेली।
15. मु0अ0स0 485/18 धारा 392/411 भादिव थाना सलोन जनपद रायबरेली।
16. मु0अ0स0 491/18 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सलोन जनपद रायबरेली।
17. मु0अ0स0 492/18 धारा 411 भादिव थाना सलोन जनपद रायबरेली।
18. मु0अ0स0 963/18 धारा 379/411 भादवि थाना कोतवाली सीटी जनपद प्रतापगढ।
19. मु0अ0स0 104/2020 धारा 323/427/452/504/506 भादवि थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ।
20. मु0अ0स0 186/21 धारा 393/506 भादवि थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ।
21. मु0अ0स0 188/21 धारा 411/420/467/468/471 भादवि थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ।
22. मु0अ0स0 433/21 धारा 395/412 भादवि थाना रानीगंज जनपद प्रतपागढ।
23. मु0अ0स0 577/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ।
24. मु0अ0स0 166/18 धारा 394/411 भादवि थाना डीह जनपद रायबरेली।

पुलिस टीम- उ0नि0 सौरभ यादव मय हमराह का0 हरिनारायण थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़

थाना मान्धाता, जनपद प्रतापगढ़।

थाना मान्धाता पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, थाना मान्धाता के उ0नि0 अलंकार यादव मय हमराह का0 अनी कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त के दौरान, एसटी न0 126/ 23 अ0सं0 67 / 23 धारा 354 (1)(2)/354 (ख)506/452 भादवि 7/8 पाक्सो एक्ट थाना मान्धाता, प्रतापगढ़ से संबंधित वारंटी अभियुक्त 01. आशीष कुमार पुत्र भगवती प्रसाद नि0ग्राम अकोढिया थाना मान्धाता प्रतापगढ को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

आशीष कुमार पुत्र भगवती प्रसाद नि0ग्राम अकोढिया थाना मान्धाता प्रतापगढ।

पुलिस टीम-

उ0नि0 अलंकार यादव मय हमराह का0 अनी कुमार थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़।

थाना देल्हूपुर, जनपद प्रतापगढ

संगठित गिरोह द्वारा योजनाबद्ध लूट की घटना का खुलासा – मुख्य अभियुक्त सहित 04 गिरफ्तार, ₹1.20 लाख नकद, अवैध तमंचा एवं लूट से संबंधित 02 अदद मोबाइल बरामद

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन पर थाना देल्हूपुर पुलिस एवं एसओजी/सर्विलांस टीम की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा घटना का सफल अनावरण कर 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

घटना स्थल का वैज्ञानिक निरीक्षण एवं साक्ष्य संकलन के साथ पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में एसओजी, स्थानीय थाना पुलिस और सर्विलांस सेल द्वारा संदिग्धों की पहचान व गिरफ्तारी हेतु लगातार समन्वित दबिश एवं चेकिंग अभियान चलाया गया था।

लूट के अभियोग से सम्बन्धित 04 अभियुक्तों को लूट के 1,20,000/- रुपये नगद के साथ 01 अदद तमन्चा 315 बोर, 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व लूट से संबंधित 02 अदद मोबाइल फोन बरामद।

अभियुक्त अंकित की निशानदेही से अभियुक्त आशीष व अभियुक्त सिद्धान्त को मऊआईमा पुल के नीचे से तथा रिषभ यादव को अभियुक्तों की निशानदेही पर इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप, धूमनगंज प्रयागराज से किया गया गिरफ्तार।

कंडक्टर अंकित भारतीया की मिलीभगत से गाड़ी में रखे ₹2.32 लाख की लूट गजेहड़ा जंगल मोड़ के पास दिनांक 30.05.2025 की रात को योजनाबद्ध तरीके से की गई थी।

घटना का विवरण-
थाना देल्हूपुर क्षेत्रान्तर्गत गजेहड़ा जंगल मोड़ के पास दिनांक- 30.05.2025 को वादी की गाड़ी के ड्राइवर व खलासी ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर (गाड़ी में रखे रूपये) लूट कारित किये जाने के संबंध में वादी की तहरीर के आधार पर थाना देल्हूपुर पर मु0अ0सं0-51/25 धारा 309(6) बीएनएस बनाम 02 नामजद व कुछ व्यक्ति नाम पता अज्ञात का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

उक्त सूचना के अनुक्रम में घटनास्थल का विधिवत निरीक्षण किया गया तथा संभावित साक्ष्य संकलन हेतु वैज्ञानिक विधियों एवं तकनीकी संसाधनों का प्रयोग किया गया। क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान हेतु सघन चेकिंग अभियान चलाया गया।

घटना की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में एसओजी टीम एवं थाना स्थानीय पुलिस द्वारा सर्विलांस सेल तथा मुखबिरों से प्राप्त सूचना के आधार पर घटना से संबद्ध अभियुक्तों की पहचान एवं गिरफ्तारी हेतु लगातार सतत प्रयास किए जा रहे थे। टीम द्वारा संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही थी तथा घटना में प्रयुक्त साक्ष्य व वस्तुओं की बरामदगी हेतु समन्वित अभियान संचालित किया जा रहा था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु दबिश दी जा रही थी। इसी क्रम में दिनांक 05.06.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री विनय प्रभाकर साहनी के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक श्री राधेबाबू थाना देल्हूपुर के नेतृत्व में उ0नि0 ध्रुव सिंह मय हमराह व एसओजी प्रभारी उ0नि0 श्री सुनील कुमार यादव मय हमराह द्वारा थाना देल्हूपुर के

मु0अ0सं0-51/25 धारा 309(6) बीएनएस से संबंधित अभियुक्त 1. अंकित भारतीया पुत्र प्रेमचन्द्र भारतीया उम्र करीब 27 वर्ष निवासी महेवा पश्चिम पट्टी थाना नैनी प्रयागराज, 2. आशीष यादव पुत्र रामजी यादव उम्र करीब 21 वर्ष निवासी ग्राम महेवा पश्चिम पट्टी थाना नैनी जनपद् प्रयागराज, 3. सिद्धान्त पुत्र हरीनन्द उम्र करीब 25 वर्ष निवासी ग्राम महेवा पश्चिम पट्टी थाना नैनी प्रयागराज, 4. रिषभ यादव पुत्र कमलेश यादव निवासी ग्राम मऊ टिकरा थाना मऊ जनपद चित्रकूट उम्र करीब 27 वर्ष को भिन्न- भिन्न स्थान से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्तों के कब्जे से लूट के कुल 1,20,000/- रुपये नगद व 01 अदद तमन्चा 315 बोर, 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व लूट के 02 अदद मोबाइल फोन को बरामद किया गया गया है। जिसके संबंध में मुकदमा उपरोक्त में धारा 317 (2) / 61 (2) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट की बढोत्तरी की गई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. अंकित भारतीया पुत्र प्रेमचन्द्र भारतीया उम्र करीब 27 वर्ष निवासी महेवा पश्चिम पट्टी थाना नैनी प्रयागराज
2. आशीष यादव पुत्र रामजी यादव उम्र करीब 21 वर्ष निवासी ग्राम महेवा पश्चिम पट्टी थाना नैनी जनपद प्रयागराज
3. सिद्धान्त पुत्र हरीनन्द उम्र करीब 25 वर्ष निवासी ग्राम महेवा पश्चिम पट्टी थाना नैनी प्रयागराज
4. रिषभ यादव पुत्र कमलेश यादव निवासी ग्राम मऊ टिकरा थाना मऊ जनपद चित्रकूट उम्र करीब 27 वर्ष ।

पूछताछ विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि हम लोग काफी दिनों से लूट की घटना कर रहे थे। हम लोगों का शौक बढ़ गया था। इसीलिए हम लोग लगातार लूट की घटना को अंजाम देते थे तथा लूट के पैसों से अपने तथा अपने परिवार का खर्चा भी चलाते थे। हिरासत में लिये गये सभी अभियुक्तों से उनके पास से बरामद रुपयों 1,20,000/- के बारे में पूछने पर बता रहे हैं कि यह वही पैसा है जो गजेहड़ा जंगल में कन्डेक्टर अंकित भारतीया से मिलकर उसकी मिली भगत से हम लोग 2,32,000/- रूपये लूट लिये थे और पुलिस के डर से पैसे को छुपा दिये थे।

अभियुक्त अंकित भारतीया से पूछताछ करने पर उसने स्वीकार किया कि दिनांक 30.05.2025 की रात्रि में गजेहड़ा जंगल मोड़ के पास लूट की घटना कारित की थी। घटना वाले दिन उसने अपने साथी सिद्धान्त को फोन कर बुलाया था, जो अन्य तीन साथियों के साथ मौके पर आया। इनमें आशीष यादव, सिद्धान्त, रिषभ यादव तथा अमन सिंह सम्मिलित थे।

अंकित भारतीया ने पूछताछ पर आशीष और सिद्धान्त मऊआईमा पुल के नीचे खड़े होना बताया। जिस पर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ की गई तो अभियुक्त आशीष यादव द्वारा लूट की घटना को स्वीकार किया गया। लूट की गई रकम में से उसने अपने शौक के लिए ₹45,000/- का iPhone 13 Pro खरीदा। हमारे पास से 01 अवैध देशी तमंचा व 2 जिंदा कारतूस का उपयोग राहगीरों को लक्ष्य बनाकर डराने और लूट की घटनाओं को अंजाम देने में किया जाता था। अभियुक्त सिद्धान्त द्वारा बताया गया कि यह धनराशि कंडक्टर

अंकित भारतीया के साथ मिलकर लूटी गई थी, जिसमें से एक ग्रे रंग का POCO मोबाइल फोन हिस्से में आया।

आगे बताया गया कि अमन सिंह, लूट के हिस्से के ₹25,000/- लेकर दिल्ली भाग गया है एवं रिषभ यादव वर्तमान में धूमनगंज, प्रयागराज क्षेत्र में है। जिसको अभियुक्तों की निशानदेही पर इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप, धूमनगंज के पास से गिरफ्तार किया गया। हम लोगों द्वारा 26,000/- रुपए खाने-पीने और मौज-मस्ती में खर्च कर दिए गए।

अभियुक्तों से बरामदगी का विवरण-
गिरफ्तार अभियुक्तों से लूट के कुल 120000/- रुपये एवं 02 अदद मोबाइल फोन, 01 अदद तमंचा 315 बोर, 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया।

01- आशीष यादव उपरोक्त
- नकद बरामदगी: मौके से 10,000/- रुपये, अभियुक्त के घर से 34,000/- रुपये
- सामान: लूट के पैसों से खरीदा गया iPhone 13 Pro (कीमत लगभग ₹45,000/-), ग्रे रंग, पट्टी गोल्डन
- 01 देशी तमंचा 315 बोर व 02 जिंदा कारतूस

02- सिद्धार्थ उपरोक्त
- नकद बरामदगी: मौके से 11,000/- रुपये, अभियुक्त के घर से 25,000/- रुपये
- सामान: लूट का 01 मोबाइल फोन POCO कंपनी का
- खर्च विवरण: ₹16,000/- आईपीएल सट्टा में हारना बताया गया

03- रिषभ यादव उपरोक्त
- नकद बरामदगी: ₹40,000/-

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास-
1- अंकित भारतीया पुत्र प्रेमचन्द्र भारतीया उम्र करीब 27 वर्ष निवासी महेवा पश्चिम पट्टी थाना नैनी प्रयागराज का आपराधिक इतिहास-
1. मु.अ.सं.-51/2025 धारा 309(6) भारतीय न्याय संहिता व बढ़ोतरी धारा 317(2)/61(2) बीएनएस थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ़।

2- आशीष यादव पुत्र रामजी यादव उम्र करीब 21 वर्ष निवासी ग्राम महेवा पश्चिम पट्टी थाना नैनी जनपद् प्रयागराज का आपराधिक इतिहास-
1. मु0अ0सं0-51/2025 धारा 309(6) (BNS) व बढ़ोतरी धारा 317(2)/61(2) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ़।
2. मु0अ0सं0-188/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना पूरामुफ्ती जनपद प्रयागराज।

3. मु0अ0सं0-150/2025 धारा 147/148/149/286/307/504/506 भादवि थाना दारागंज जनपद प्रयागराज।

4. मु0अ0सं0-34/2023 धारा 307/452/504/506 भादवि थाना नैनी जनपद प्रयागराज।

3- सिद्धान्त पुत्र हरीनन्द उम्र करीब 25 वर्ष निवासी ग्राम महेवा पश्चिम पट्टी थाना नैनी प्रयागराज का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0-51/2025 धारा 309(6) भारतीय न्याय संहिता व बढ़ोतरी धारा 317(2)/61(2) बीएनएस थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ़।

4- रिषभ यादव पुत्र कमलेश यादव निवासी ग्राम मऊ टिकरा थाना मऊ जनपद चित्रकूट का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0-51/2025 धारा 309(6) भारतीय न्याय संहिता व बढ़ोतरी धारा 317(2)/61(2) बीएनएस थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

उ0नि0श्री ध्रुव सिंह मय हमराह उ0नि0 श्री हरेन्द्र सिंह, हे0का0 इरफान अहमद,का0 यनेन्द्र सागर थाना देल्हूपुर प्रतापगढ़,आरक्षी चालक रामेश्वर कुमार थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ़।

एसओजी/सर्विलांस टीम-

एसओजी प्रभारी उ0नि0 श्री सुनील कुमार यादव मय हमराह हे0का0 पंकज कुमार दूबे, हे0का0 धनन्जय राय, का0 जागीर सिंह, का0 आशूतोष पाण्डेय, का0 चालक राजेन्द्र कुमार, उ0नि0 श्री दिनेश सिंह, हे0का0 मोहित राज यादव, का0 अरविन्द दूबे, का0 श्रीराम सिंह,चालक हे0का0 राजेन्द्र प्रसाद सिंह, का0 सनोज कुमार, का0 प्रवीण कुमार, का0संजय यादव, का0अनुपम पाथरे।